निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 11/2018

रामचरण आयु 50वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—प्रार्थी—

बनाम

1. बलराम पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
2. सत्यनारायण पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
3. सीताबाई पुत्री मथुरालाल पत्नि बद्रीलाल जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज. कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. राधाबाई पुत्री मथुरालाल पत्नि लालचन्द जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल नि. बालूहेडा चोकी तहसील कनवास जिला कोटाराज. ।
5. हरिओम आयु 14 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज नाबालिक की जर्ये वली माता खुद रोशनबाई पत्नि रामप्रसाद जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
6. रोशनबाई पत्नि रामप्रसाद जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
7. कन्हैयालाल पुत्र डालूलाल जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
8. रामगोपाल पुत्र डालूलाल जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा
9. रामकल्याण रामकल्याण पुत्र गजानन्द जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद
10. हेमन्त पुत्र तुलसीराम जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज,
11. जितेन्द्र पुत्र तुलसीराम जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
12. ममता पुत्री तुलसीराम जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
13. लाडबाई पुत्री तुलसीराम जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज.
14. ललताबाई पत्नि तुलसीराम जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा
15. रामचरण पुत्र गणपत जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
16. बंशीलाल पुत्र गणपत जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा,
17. मोरपाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा
18. साबूलाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा
19. रामकन्या पत्नि मोहनलाल जाति माली निवासी लसेडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा
20. जोधराज पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
21. औकार पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
22. रामराज पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

23. सुमित्रा पुत्री किशनगोपाल पत्नि गिरिराज जाति धाकड निवासी नयापुरा तह०सांगोद जिला कोटा हाल निवासी हापाहेडी तहसील अन्ता जिला बारां राज.
24. जगन्नाथी पत्नि किशनगोपाल जाति धाकड निवासी नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज.
25. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—

1. श्री मोहनलाल पोटर एडवोकेट (वकील प्रार्थीगण)
2. श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील अप्रार्थी 1 ता 6)
3. श्री बाबूलाल नागर(वकील अप्रार्थीगण)
4. श्री अनुतोष नागर (वकील अप्रार्थी कं. 17, 18, 20 ता 24)
5. श्री चेतन प्रकाश सुमन(वकील अप्रार्थी कं. 7, 8, 10 ता 16)

——:: **निर्णय** ::—— दिनॉक :—

प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ कि :—

•यह कि प्रार्थी के खाते एवम् कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा की खेवट खतोनी संख्या नई 177 पुरानी 177 की अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नं. 468 की 2.24 हेक्टर, खसरा नं.469 की 0.02 हेक्टर व खसरा नं. 470 की 2.25 हेक्टर कुल किता 3 की कुल 4.51 हेक्टर आराजी स्थित हे, जिसमे खसरा नं. 469 की आराजी मे प्रार्थी का कुआ ट्यूबवेल व खलिहान व जानवरो व कृषि उपज रखने हेतु घर बना हुआ है प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान के पुराना खसरा नं. 311 थे।

• यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात मे करीब 40 वर्षो से प्रार्थी स्वयं काश्त करता चला आ रहा हे व इस से पूर्व प्रार्थी के पूर्वज काश्त करते आ रहे थे, दिनांक 26/6/2002 को अप्रार्थीगण 1 ता 24 ने व उनके रिश्तेदारों ने रास्ते से आने जाने मे बाधा करित करने की कोशिश की थी इस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत कमोलर मे संरपच साहब को प्रार्थना पत्र रास्ता खुलासा करने बाबत दिया था तथा ग्राम पंचायत कोरम द्वारा उस समय नोटिस जारी कर मोका निरिक्षण बयानात लेकर हाल खसरा नं. 446, 447 जिनके पुराने खसरा नं. 304 की पश्चिमी मेड से तथा हाल खसरा नं. 306 पुराने खसरा नं. 223 की पूर्वी मेड से होते हुए हाल खसरा नं. 305 पुराने खसरा नं. 222 की पूर्वी मेड होते हुए व हाल खसरा नं. 449, 450, 451 जिनके पुराने खसरा नं. 305 की पश्चिमी मे से होते हुए प्रार्थी अपने खेत व कुऐ पर आने जाने का रास्ता मानकर अन्यत्र कोई रास्ता नही होना मानते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच साहब व सभी पंचो द्वारा दिनांक 5/5/2003 को प्रार्थी का रास्ता खुलासा कर रास्ता बहाल किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

• यह कि गत वर्ष पानी का लेवल कम होने व अप्रार्थीगण 1 ता 24 के प्रार्थी द्वारा सिंचाई नही करने से अप्रार्थीगण प्रार्थी की खेती नष्ट करने के नये नये तरीके खोजते रहते है ओर नतीजन प्रार्थी के वर्षो पुराने रास्ते को दिसम्बर 2017 में बन्द करने की पुनः कोशिश की प्रार्थी द्वारा उस समय तहसीलदार सांगोद को रास्ता खुलासा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिसको मूल ही पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत कमोलर को भेजा गया था जिस पर पटवारी मण्डल कमोलर व ग्राम पंचायत कमोलर द्वारा दिनांक 12/1/18 मोका देखकर रिर्पोट तहसील दार सांगोद को पेश की जिस पर तहसीलदार साहब सांगोद द्वारा ग्राम पंचायत कमोलर व पटवारी हल्का कमोलर ने पुलिस सहायता से रास्ते के अतिक्रमण को हटा दिया प्रार्थी अपने रास्ते का पूर्व की भांति उपयोग उपभोग करने लगा लेकिन दिनांक 29/6/2018 को प्रार्थी अपने खेत पर गया तो अप्रार्थी बलराम द्वारा रास्ते मे रास्ते को पुनःसकरा करने की नियत से लकडी के डण्डे प्रार्थी के रास्ते मे लगा दिये प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा तो रास्ते को बन्द कर रास्ते मे लकडी की बल्लीया गाड, कर कटिले तार लगाने कही उस समय प्रार्थी को निकलने नही दिया प्रार्थी ने रास्ते मे निकलने का प्रयास किया ओर अपनी आराजी पर गया वापस आया तो अप्रार्थी 1 ता 24 ने प्रार्थी को मारने की धमकिया देने लगे प्रार्थी ने अप्रार्थीगण 1 ता 24 से रास्ते को खुलासा रखने की कही इस पर अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थी को नही निकलने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के निर्णय की कही तो सभी ने कहा ऐसे फैसले बहुत देखे हे तुझे यहां से नही निकलने देगें। यदि निकला तो जान से मार देगे। यदि अप्रार्थी 1 ता 24 ताकत व राजनेतिक प्रभाव से जबरन प्रार्थी के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तो प्रार्थी की आराजी पडत रह जायेगी ओर प्रार्थी के बच्चे भूखे मर जायेगे ।

• यह कि पक्षकार नं. 25 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है, भूमि कि किस्म परिवर्तन में भूमिधारी को पक्षकार बनाने की आवश्यकता होने से पक्षकार बनाया गया है ओर कोई रिलीफ नही चाही गई है।

• यह कि प्रार्थी की आराजी व रास्ता माल ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त होने से अवधि मध्य प्रस्तुत है।

• अतः (अ) प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नं. 468 की 2.24 हेक्टर, खसरा नं. 469 की 0.02 हेक्टर व खसरा नं. 470 की 2.25 हेक्टर कुल किता 3 की कुल 4.51 हेक्टर मे आने जाने के लिए 10 फुट चोडा रास्ता हाल खसरा नं. 446, 447 की पश्चिमी मेड से तथा हाल खसरा नं. 306 की पूर्वी मेड से होते हुए हाल खसरा नं. 305 की पूर्वी मेड होते हुए व हाल खसरा नं.449, 450, 451 की पश्चिमी मेड से होते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार रेवेन्यू रेकार्ड में रास्ते की आराजी की किस्म परिवर्तित कर गेर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज करने की कृपा करे प्रार्थी उक्त सम्पूर्ण रास्ते की आराजी चोडाई 10 फुट का नियमानुसार भुगतान करने को तत्पर हैं।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

•(ब) इस आशय की डिकी परित फरमावे की प्रार्थी को उक्त आराजी में आने जाने से अप्रार्थीगण के निम्न खसरा नम्बरान हाल खसरा नं.446,447 की पश्चिमी मेड से तथा हाल खसरा नं. 306 की पूर्वी मेड से होते हुए हाल खसरा नं.305 की पूर्वी मेड होते हुए व हाल खसरा नं. 449,450,451, की पश्चिमी मेड से निकलने मे अप्रार्थी 1 लगायत 24 प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली व कृषि यन्त्र निकालने मे बाधा उत्पन्न नही करे ऐसा ना तो स्वयं करे न ही अपने किसी परिचित से करवाने का प्रयास करे, यदि दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण 1 ता 24 प्रार्थी के रास्ते को बन्द कर दे तो रास्ते को स्थानः–सांगोद रामचरण खुलासा करने की भी कृपा करे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1 लगायत 6 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि :–

• यह कि प्रार्थना पत्र जिस रूप में अंकित की है स्वीकार नहीं है। विवादित प्रतिवादीगण के खेत में होकर वादी कभी भी रास्ता नहीं रहा है। वादी की खेतों के दक्षिण में स्वयं वादी का खसरा नंबर 294 एवं 293 के खाते के खेत है जो गैर मुमकिन गडार से लगे हुए हैं तथा उससे लगवा वादी के खसरा नंबर 468 एवं 470 खेत है जिनमें होकर ही अपने खेतों में आता जाता रहा है वह वादी अप्रार्थी गण के खेतों में होकर नया रास्ता कायम करना चाहता है जिसका उसे कानूनी अधिकार हासिल नहीं है ग्राम पंचायत कमोलर द्वारा बिन सुनवाई एवं जवावदेही के कोई रास्ते का बिना किसी कानूनी अधिकार के कोई रास्ता कायम किया है तो वह अवैध एवं प्रभाव युक्त है उक्त आदेश की पालना कभी भी नहीं करवाई गई है राजस्व रिकॉर्ड एवं नगरी नक्शे से वादी के खेतों पर जाने का रास्ता प्रमाणित है।

• यह कि वादी अपने राजनैतिक प्रभाव का प्रयोग कर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देता रहता है जबकि अप्रार्थी गण के खेत में होकर कभी भी प्रार्थी का रास्ता नहीं रहा है नहीं कभी मौके पर उक्त रास्ता खुलासा किया गया है विवादित स्थान पर प्रार्थी का कभी भी रास्ता नहीं रहा है तथा प्रार्थी अपने खेतों के खेत खसरा नंबर 293 294 में गैर मुमकिन गडार खसरा नंबर 289 से हमेशा से आता जाता रहा है तथा आज भी आ जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं है।

• यह कि प्रार्थी पुराने रास्ते के आधार पर पुख्ताधिकार के आधार पर पुराना प्रचलित रास्ता बता कर आया है ऐसी स्थिति में रास्ते के पुख्ताधिकार के बारे में माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तुत वाद दीवानी न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अप्रार्थी कं. 7, 8, 10 ता 16 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि :–

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

• यह कि प्रार्थी को उसकी आराजी खसरा न0468 की 2.24 हेक्टर, खसरा न0 469 की 0.02 हेक्टर, खसरा न0 470 की 2.25 हेक्टर कुल किता 3 की कुल 4.51 हेक्टर में आने जाने के लिए 10 फुट चौडा रास्ता हाल खसरा न0 446, 447 की पश्चिमी मेड से होते हुए हाल खसरा न0305 की पूर्वी मेड पर होते हुए हाल खसरा न0 449, 450, 451 की पश्चिमी मेड से होते हुए चला आ रहा है। जिसमे अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। क्योकि हम अप्रार्थीगण भी उक्त रास्ते का ही अपने खेतो तक आने जाने के लिए उपयोग करते है, जो आज भी विध्यमान है।

• यह कि प्रार्थी को उसकी आराजी में आने जाने से अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है, तथा हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को रास्ते से आने जाने मे किसी प्रकार से न तो रोका है, और न ही कोई बाधा कारित की है। बल्कि हम अप्रार्थीगण भी उक्त रास्ते का ही अपने खेतो तक आने जाने के लिए उपयोग करते है, जो आज भी विध्यमान है तथा प्रार्थी को रास्ता दिये जाने में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति या एतराज नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौके पर उक्त रास्ते का निर्धारण किये जाने मे हम अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति है।

अप्रार्थी कं. 17, 18, 20 ता 24 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि :–

• यह कि प्रार्थी ने पुराने प्रचलित रास्ते के आधार पर माननीय न्यायालय में कार्यवाही की है जबकि पुराने प्रचलित रास्ते के बारे में माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। पुराने प्रचलित रास्ते के बारे में रास्ते के सुखाधिकार के आधार पर दीवानी न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है।

• यह कि वादी स्वयं के खेत खसरा नंबर 294 व 293 गै.मु.गडार खसरा नंबर 289 से लगे हुये हैं। प्रार्थी उक्त खेत में लगे हुये खसरा नंबर 468 व 470 के खेतों में हमेशा से आता जाता रहा है। वादी के खेत में आने जाने का रास्ता हमेशा से रहा है। ऐसी स्थिति में वादी प्रार्थी को 251 (क) तहत रास्ता नहीं दिलाया जा सकता है।

• यह कि 251 (क) में प्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय को इस तरह की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसी सहायता प्रार्थी दीवानी न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाकर खर्चा 5000रूपये दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

राज्य सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद की ओर से इस आशय का जवाब मय मौका रिपोर्ट के पेश हुआ कि रामचरण पुत्र ब्रदीलाल जाति माली द्वारा ग्राम नयापुरा पटवार मंडल कमोलर भू०अभि०नि०वृत्त बपावरकला के खातेदारी ख०नं० 468. 469. 470 में अपनी जोत तक पहुंचने के लिए ग्राम नयापुरा के निम्न खसरा नंबर में से रास्ते की मांग की गयी है, जिनकी राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार से पायी गयी जो कि पटवारी रिपोर्ट सलग्न है। रास्ते हेतु उपरोक्त ख०नं० के भूमि स्वामित्व एवं विवरण संलग्न जमाबन्दी अनुसार है, जो मंदिर माफी / या सर्वोच्च न्यायालयों के जनहित याचिकाओं के निर्णयों / राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 क तहत किसी भी प्रकार की प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में नहीं आते है। प्रार्थी की जोत तक पहुंचने हेतु रास्ते/साधन का अभाव नही है। रास्ते हेतु मांग किये गये उपरोक्त खसरा नंबरों में मौके पर पूर्व से रास्ता स्थित नहीं है। रास्ते हेतु मांग किये गये उपरोक्त खसरा नंबरों के अतिरिक्त कोई निकटतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। पूर्ण विवरण पटवारी रिपोर्ट सलग्न है। प्रार्थी की पूर्ण आराजी ख0 नं0 470 के लगवा 835/295, 294 गै०सु० नहर (परवन वृहद सिचाई परि०) दर्ज है। जिसके दोनो और प्रचलित रास्ता (सडक) प्रस्तावित है। अतः प्रार्थी के खातेदारी ख० नं० 294 जो स्वंय की खातेदारी का है जो नहर के रास्ते से लगवा है। अतः प्रार्थी के ग्राम नयापुरा से स्टेट हाइवे वाले रास्ते से प्रार्थी के खेत तक जाने का वैकल्पिक रास्ता है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत जवावदावा व मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आवागमन करने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा वैकल्पिक मार्ग खसरा नंबर 835/295, 294 गै.मु.नहर पर मौजूद प्रचलित रास्ते पर उपलब्ध है तथा प्रार्थी की खातेदारी की खसरा नंबर 294 की आराजी नहर के रास्ते से लगवा हैं तथा प्रार्थी के पास ग्राम नयापुरा से स्टेट हाइवे वाले रास्ते से प्रार्थी के खेत तक जाने का वेकल्पिक रास्ता है। ऐसी परिस्थितियों में जब प्रार्थी के पास वेकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी रामचरण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनॉक 16/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगो.सांगोद